



UPFD010020242012

न्यायालय विशेष न्यायाधीश एस०सी०/एस०टी० एक्ट, फिरोजाबाद
 उपस्थित --इफराक अहमद (एच०जे०एस०) ID-UP6193
 विशेष सत्र वाद सं०- 152/2012

राज्यअभियोजनपक्ष।

बनाम

1- ए०के० पाण्डेय पुत्र स्व० श्री केशरी नन्दन पाण्डेय, सहकारिता
 विभाग फिरोजाबाद।

2- रवीश कुमार पुत्र मोती प्रसाद ब्राह्मण, निवासी- डी०एम०
 कम्पाउण्ड क्वार्टर नं० 10, थाना मटसैना, सहयोगी चपरासी
 सहकारिता विभाग फिरोजाबाद।

.....अभियुक्तगण।

धारा- 452, 354, 504 भा०द०सं०

व धारा 3(1) (X) एस०सी०/एस०टी० एक्ट

थाना- मक्खनपुर, जिला- फिरोजाबाद।

अपराध संख्या- 123/2008,

निर्णय

1. उपरोक्त विशेष सत्र-परीक्षण वाद का विचारण पुलिस थाना मक्खनपुर जनपद फिरोजाबाद द्वारा मु०अ०सं० 123/2008 में अभियुक्तगण ए०के० पाण्डेय एवं रवीश कुमार के विरुद्ध प्रेषित आरोप पत्र अंतर्गत धारा 452, 354, 504 भा०द०सं०, व धारा 3(1) (X) एस०सी०/ एस०टी० एक्ट, के आधार पर संस्थित होकर किया गया।

2. संक्षेप में अभियोजन कथानक इस प्रकार है कि वादिनी श्रीमती मीना कुमारी, निवासी- न० तुर्किया, थाना मक्खनपुर, जिला फिरोजाबाद वादिनी/(Informant) द्वारा थानाध्यक्ष मक्खनपुर को

प्रार्थना पत्र दिनांकित 20-07-2008 **प्रदर्श क-1** निम्न आशय का प्रस्तुत किया गया है कि-

"निवेदन करना है कि प्रार्थिया मीना कुमारी पत्नी श्री राम सिंह, निवासी नगला तुर्किया कस्बा व थाना मक्खनपुर जिला फिरोजाबाद की मूल निवासी हूँ। प्रार्थिया की जाति जाटव है। आज दिनांक 19-07-2008 को ए०के० पाण्डेय जिला सहायक निबन्धक फिरोजाबाद व रवीश कुमार सहयोगी (चपरासी) सहकारिता विभाग एक फोरव्हीलर गाड़ी नं० DL 4C,6670 से मेरे घर आ धमके रात के करीब 11.00 बजे उन्होंने गेट खोलने के लिये कहा तो मैंने गेट खोला और कहा कि मेरे पति घर पर नहीं है। आप सुबह आना मेरी बात सुनकर मुझसे अश्लील हरकते करने लगे तो मैंने विरोध किया तो इन्होंने जाति सूचक शब्द (चमरिया) का प्रयोग करते हुये कहा कि साली तेरा पति तनख्हा लेगा तो मैं कहूँगा वो करना पड़ेगा। फिर जबरदस्ती करने लगे। इतने पर मैं चिल्लाई तो मौहल्ले के लोग जो पड़ोस में रहते हैं धनीराम, रामस्वरूप व राजकुमारी पत्नी धनीराम आदि ने इन लोगों को घर से बाहर निकाल दिया। फिर भी ये काफी गंदी-गंदी गालियां देते रहे। तो हम लोगों ने तुरन्त रवीश को पकड़ कर थाने ले आये। ए०के० पाण्डेय मौका पाकर भाग गये तथा प्राइवेट गाड़ी को भी वहीं छोड़ गये जिसे हम मुहल्ले वाले गाड़ी को लेकर थाने ले आये। प्रार्थिया की रिपोर्ट लिखकर कानूनी कार्यवाही अमल में लायी जाये।"

3. उपरोक्त लिखित तहरीर प्रदर्श क -1 के आधार पर थाना मक्खनपुर पर **प्रथम सूचना रिपोर्ट मु०अ०सं० 123/2008, अन्तर्गत धारा 452,354,504 भा०दं०सं० व धारा 3(1) 10 एस०सी०/एस०टी० एक्ट दिनांकित 20-07-2008 को प्रदर्श क-4** के रूप में अभियुक्तगण **ए०के० पाण्डेय एवं रवीश कुमार** के विरुद्ध पंजीकृत की गयी, जिसकी प्रविष्टि रोजनामचाआम (G.D.) में गयी, जिसकी प्रति पत्रावली पर **प्रदर्श क-5** है।

4. विवेचना अग्रसारित करते हुए विवेचक द्वारा साक्षियों के बयान अन्तर्गत धारा 161 द०प्र०सं० अंकित किये गये। घटना स्थल का निरीक्षण किया गया। पर्याप्त साक्ष्य पाये जाने पर अभियुक्तगण **ए०के० पाण्डेय एवं रवीश कुमार** के विरुद्ध आरोप पत्र **प्रदर्श क-2** प्रेषित किया गया।

5. अभियुक्तगण को नकले प्राप्त करायी गयी। मेरे विद्वान पूर्वाधिकारी द्वारा अभियोजन एवं बचाव पक्ष को सुनवाई का अवसर देने के उपरान्त पर्याप्त आधार पाये जाने पर अभियुक्तगण ए०के० पाण्डेय एवं रवीश कुमार के विरुद्ध आरोप अन्तर्गत धारा 452,354,504 भा०द०सं०, व धारा 3(1)(X) एस०सी०/ एस०टी० एक्ट दिनांक 04-06-2013 को विरचित किया गया। अभियुक्तगण ने आरोपों से इंकार किया तथा विचारण की माँग की।

6. आरोप के समर्थन में अभियोजन द्वारा निम्न साक्षीगण को परीक्षित किया गया-

क्रम सं०	नाम साक्षी	
1	PW-1 श्रीमती मीरा	वादी मुकदमा (Informant)
2	PW-2 श्रीमती पुष्पा देवी	(चश्मदीद साक्षी)
3	PW- 3 धनीराम	(चश्मदीद साक्षी)
4	PW- 4 श्रीमती राजकुमारी	(चश्मदीद साक्षी)
5	PW- 5 इलियास	(चश्मदीद साक्षी)
6	PW- 6 पूणेन्दु सिंह	अंतिम विवेचक
7	PW- 7 राजेश कुमार	प्रथम विवेचक
8	PW- 8 हेड मोहररिं मुन्ना सिंह	चिक लेखक

7. अभियोजन की ओर से निम्नलिखित प्रदर्श साबित किये गये-

क्रम सं०	अभियोजन प्रपत्र	प्रदर्श
1	प्रार्थना पत्र/तहरीर वादी	प्रदर्श क- 1
2	आरोप पत्र	प्रदर्श क- 2
3	नक्शा नजरी	प्रदर्श क- 3
4	प्रथम सूचना रिपोर्ट (FIR)	प्रदर्श क- 4
5	जी०डी०	प्रदर्श क- 5
6	जी०डी० नष्ट प्रमाण पत्र	प्रदर्श क- 6

8. अभियुक्त के बयान अन्तर्गत धारा 313 द०प्र०सं० अंकित किये गये। अभियुक्तगण ने लगाये गये आरोपों को गलत बताया।

धारा 452 भा०द०सं० के अंतर्गत अभियोजन को निम्न तत्वों को साबित करना आवश्यक है-

- (i) यह कि अभियुक्त ने अतिचार कारित किया,
- (ii) यह कि उसने ऐसा किसी निर्माण, तम्बू या जलयान में प्रवेश करके या अवैध रूप से रह करके किया;
- (iii) यह कि ऐसा निर्माण, तम्बू या जलयान मानव आवास या उपासना स्थल या सम्पत्ति की अभिरक्षा के स्थान के रूप में प्रयोग किया जाता था;
- (iv) यह कि अभियुक्त ने ऐसा गृह अतिचार उपहति कारित करने या हमला करने या किसी व्यक्ति की उपहति, हमला या सदोष अवरोध के भय में डालने के लिए किया।

धारा 354 भा०द०सं० के अंतर्गत अभियोजन को निम्न तत्वों को साबित करना आवश्यक है-

- (i) किसी महिला पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग किया गया,
- (ii) यह कि ऐसे हमले या आपराधिक बल का प्रयोग अभियुक्त द्वारा किया गया,
- (iii) यह कि ऐसा किसी स्त्री की लज्जा भंग करने के आशय से या यह संभाव्य जानते हुए कि वह तद्द्वारा उसकी लज्जा भंग करे, किया गया।

धारा 504 भा०द०सं० के अंतर्गत अभियोजन को निम्न तत्वों को साबित करना आवश्यक है-

- (i) यह कि अभियुक्त ने किसी व्यक्ति को अपमानित किया,
- (ii) यह कि उसने ऐसा साशय किया-
- (iii) यह कि उसने तद्द्वारा उस व्यक्ति को गंभीर प्रकोपन किया
- (iv) यह कि वह आशय रखता था या जानता था कि यह संभाव्य है कि ऐसे प्रकोपन से वह लोक शांति भंग करेगा या कोई अन्य अपराध कारित करेगा

अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989 की धारा 3(1) में यह प्रावधान है कि- कोई भी व्यक्ति जो अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का सदस्य नहीं है,

उपधारा (X) के प्रावधान के अनुसार- जनता को दृष्टिगोचर किसी स्थान में अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के किसी सदस्य का अपमान करने के आशय से साशय उसको अपमानित या अभिन्नस्त करेगा।

वह कारावास से जिसकी अवधि छः माह से कम की नहीं होगी, किन्तु जो पाँच वर्ष तक हो सकेगी और जुर्माने से दण्डनीय होगा।

9. मैंने अभियोजन की ओर से विद्वान विशेष लोक अभियोजक व बचाव पक्ष की ओर से विद्वान अधिवक्ता को सुना तथा पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों का परिशीलन किया।

अभियोजन पक्ष की ओर से पी०डबलू० 1 श्रीमती मीरा को परीक्षित किया गया। साक्षी पी०डबलू० 1 ने शपथपूर्वक कथन किया है कि-

“घटना आज से लगभग दो महीने सात साल पहले की है। रात के 11.00 बजे की घटना है। हम अपने घर पर बेटे के साथ रहे थे। मेरे पति घर पर नहीं थे। ए०के० पाण्डेय तथा रवीश कुमार उनका ड्राइवर जीप से आये थे। दरवाजा खोलने के लिये कहा तो मैंने खोल दिया। तब मैंने उनसे कहा सुबह आना तब बात करना। उन्होंने कहा मेरे साथ हमबिस्तर हो जाओ तब तुम्हारे पति का वेतन दिला देंगे तथा अश्लील हरकत करने लगे। मैंने विरोध किया तो उन्होंने जाति सूचक शब्द चमरिया कहा और कहा कि हम तेरे पति को तनखाह नहीं देंगे। चिल्लाने पर धनीराम, राजकुमारी आदि लोग आ गये। इन लोगों को घर से बाहर निकाला। उसके बाद भी गाली-गलौज करने लगे। हम लोगों ने रवीश को पकड़ लिया तथा ए०के० पाण्डेय मौके से भाग गये। गाड़ी वही छूट गयी थी। मौहल्ले वाले गाड़ी को लेकर थाने आये तथा घटना के बारे में तहरीर दी। तहरीर मैंने राम सिंह से बोलकर लिखायी थी। पढकर सुना दी थी। उस पर मैंने अपने हस्ताक्षर बनाये थे। गवाह ने अपने हस्ताक्षर व तहरीर की शिनाख्त कि जो कागज सं० 5 अ/2 है, जिस पर प्रदर्शक- 1 डाला गया। घटना घर के अन्दर की थी।”

अभियोजन पक्ष की ओर से पी०डबलू० 2 श्रीमती पुष्पा देवी को परीक्षित किया गया। साक्षी पी०डबलू० 2 ने शपथपूर्वक कथन किया है कि-

"घटना आज से लगभग सात साल पहले रात के 11.00 बजे की है। मैं अपने घर पर छत पर सो रही थी। तभी शोर-गुल की आवाज सुनायी दी। जिससे मेरी नींद खुल गयी। फिर मैं बाहर निकल कर आयी तब मीरा देवी के घर पर काफी भीड़ खड़ी थी। मीरा देवी चिल्ला चिल्लाकर कह रही थी कि उसके घर ए०के० पाण्डेय व उसका ड्राइवर घर में घुस आये तथा इज्जत लूटने की कोशिश की तथा छेड़खानी की। मीना व राजकुमारी व अन्य लोगों ने ड्राइवर रवीश को पकड़ लिया था तथा ए०के० पाण्डेय मौके से भाग गया था तथा उनकी गाड़ी नाली में फंस गयी थी। इन लोगों ने मीना देवी के साथ गाली-गलौज व चमरिया कहा था। हम लोग न आते तो ये लोग मीना देवी की इज्जत लूट लेते, छेड़खानी तो की ही है।"

अभियोजन पक्ष की पी०डबलू० 3 धनीराम को परीक्षित किया गया। साक्षी पी०डबलू० 3 ने शपथपूर्वक कथन किया है कि-

"आज से लगभग सात साल दो महीने पहले रात के 11.00 बजे मेरे सामने मीना कुमारी के साथ घर में घुसकर हाजिर अदालत मुल्जिमान रवीश कुमार व एक अन्य व्यक्ति ने जिनका नाम ए०के० पाण्डेय बताया गया था ने कोई छेड़खानी नहीं की थी, ना ही मेरे सामने गाली गलौज व जाति सूचक शब्द कहे थे। जिस सम की घटना बतायी जा रही है। उस समय मैं अपने परिवार के साथ घर पर सो रहा था। मैंने तथा मेरी पत्नी राजकुमारी ने शोर मचाने पर बाहर आकर मीना कुमारी के घर आकर हाजिर अदालत मुल्जिमान रवीश को नहीं पकड़ा था। मैं थाने भी नहीं गया था।"

अभियोजन पक्ष की पी०डबलू० 4 राजकुमारी को परीक्षित किया गया। साक्षी पी०डबलू० 4 ने शपथपूर्वक कथन किया है कि-

"आज से लगभग 7 साल पहले रात के 11.00 बजे मुल्जिमान रवीश कुमार व एक अन्य व्यक्ति जिसका नाम ए०के० पाण्डेय बताया जाता है। इन लोगों ने मेरे सामने मीना कुमारी के साथ कोई छेड़खानी नहीं की थी, ना ही जाति सूचक शब्द कहे थे, ना ही मैंने हाजिर अदालत मुल्जिमान रवीश को अन्य लोगों के साथ मिलकर नहीं पकड़ा था। ना ही मैं मीना कुमारी के साथ थाने गयी थी। घटना के समय मैं अपने घर पर मौजूद थी।"

अभियोजन पक्ष की पी०डबलू० 5 इलियास को परीक्षित किया गया। साक्षी पी०डबलू 5 ने शपथपूर्वक कथन किया है कि-

“आज से 7 साल पहले मैं अपने घर पर बच्चों के साथ सो रहा था। शोरगुल की आवाज सुनाई दी तो मीना के घर के सामने काफी भीड़ लगी थी। मीना को मैंने यह कहते नहीं सुना था कि हाजिर अदालत मुल्जिमान रवीश व ए०के० पाण्डेय ने मेरे घर में घुसकर मेरे साथ गाली गलौज, जाति सूचक शब्द व अश्लील हरकत नहीं की थी। मैंने हाजिर अदालत मुल्जिमानों को मौके पर नहीं देखा था।”

अभियोजन पक्ष की पी०डबलू० 6 श्री पूणेन्दु सिंह सी०ओ० को परीक्षित किया गया। साक्षी पी०डबलू 6 ने शपथपूर्वक कथन किया है कि-

“दिनांक 01-02-2010 को सी०ओ० सदर के पद पर तैनात था। मु०अ०सं० 123/2008 धारा 452,354,504 भा०द०सं० व धारा 3(1)10 एस०सी०/एस०टी० एक्ट की विवेचना मुझे प्राप्त हुई। इससे पूर्व की प्रारम्भिक विवेचना सी०ओ० श्री राजेश कुमार चौरसिया, सी०ओ० सुन्दरलाल, सी०ओ० श्री राम मोहन सिंह व सी०ओ० सरजीत सिंह द्वारा की गयी थी। मेरे द्वारा पूर्व प्रेषित पर्चों का अवलोकन किया गया। दिनांक 16-02-10 को विधिक पहलू पर एस०पी०ओ० फिरोजाबाद से राय ली गयी। दिनांक 25-02-10 को अभियुक्तगण के विरुद्ध आरोप पत्र चलाये जाने से पूर्व अभियोजन स्वीकृत का युक्तियुक्त आधार पाते हुये आरोप पत्र सं० 26/10 दिनांक 25-02-10 को अभियुक्तगण ए०के० पाण्डेय जिला सहायक निबंधक फिरोजाबाद व रवीश के विरुद्ध आरोप पत्र धारा 452,354,504 भा०द०सं० व धारा 3(1)10 एस०सी०/एस०टी० एक्ट का प्रेषित किया गया। आरोप पत्र पर मेरे हस्ताक्षर हैं, इस पर प्रदर्श क-2 डाला गया।”

अभियोजन पक्ष की पी०डबलू० 7 राजेश कुमार विवेचक को परीक्षित किया गया। साक्षी पी०डबलू 7 ने शपथपूर्वक कथन किया है कि-

“दिनांक 20-07-2008 को मैं सी०ओ० सदर फिरोजाबाद के पद पर तैनात था। उस दिन अ०सं० 123/2008 धारा 452,354,504 भा०द०सं० व धारा 3(1)10 एस०सी०/एस०टी० एक्ट बनाम ए०के० पाण्डेय आदि की विवेचना मुझे प्राप्त हुई थी। पर्चा

सं० 1 मेरे द्वारा किता किया गया था। जिसमें नकल तहरीर वादिया मीना कुमारी की नकल की गयी तथा एक मुल्जिमान रवीश कुमार को पब्लिक ने पकड़ लिया था का सी०डी० में अंकन किया गया तथा उसका बयान केस डायरी में अंकित किया गया। इस पर्चे में जी०डी० नकल रपट नं० 12 समय 09.15 दिनांक 20-07-2008 की जी०डी० की नकल केस डायरी में अंकित की गयी। जिसमें रवीश कुमार से बरामद एक गाड़ी सहकारिता विभाग फिरोजाबाद महिन्द्रा नं० DL 4C 6670 थाने में दाखिल की गयी। उसकी नकल मैंने सी०डी० में की थी। एफ०आई०आर० लेखक मुंशी का बयान मेरे द्वारा अंकित किया गया। उसी दिन पर्चा नं० 1A मेरे द्वारा किता किया गया जिसमें बयान वादिया श्रीमती मीना कुमारी का बयान अंकित करते हुये उसकी निशानदेही पर निरीक्षण घटना स्थल किया गया तथा नक्शा नजरी तैयार किया गया। जो पत्रावली पर कागज सं० 5 अ है, जिस पर मेरे हस्ताक्षर है, जिस पर प्रदर्श क-3 डाला गया। उसी दिन समाई साक्षी चन्द्रप्रकाश व अवधेश कुमार के बयान अंकित किये गये। दिनांक 22-07-2008 को पर्चा नं० 2 मेरे द्वारा किता किया गया जिसमें गवाह बैनीराम, राजकुमारी, पीड़िता के पति राम सिंह के बयान अंकित किये गये तथा अभियुक्त ए०के० पाण्डेय की गिरफ्तारी के लिए निर्देशित किया गया। दिनांक 01-08-2008 को पर्चा नं० 3 में गवाह पुष्पा देवी, मुन्नी देवी, रामस्वरूप के बयान अंकित किये। दिनांक 03-08-2008 को पर्चा नं० 4 मेरे द्वारा किता किया गया। जिसमे गवाह इलियास व मुन्नालाल के बयान अंकित किये गये।"

अभियोजन पक्ष की पी०डबलू० 8 हैड मुहर्रि र मुन्ना सिंह को परीक्षित किया गया। साक्षी पी०डबलू० 8 ने शपथपूर्वक कथन किया है कि-

"मैं दिनांक 20-07-2008 को थाना मक्खनपुर पर बतौर का० क्लर्क के पद पर तैनात था। उस दिन वादी मुकदमा श्रीमती मीना कुमारी पत्नी राम सिंह की तहरीर के आधार पर अ०सं० 123/2008 धारा 452,354,504 भा०द०सं० व धारा 3(1)10 एस०सी०/एस०टी० एक्ट बनाम ए०के० पाण्डेय आदि दो नफर के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत किया था। जिसकी चिक एफ०आई०आर० मेरे द्वारा किता की गयी थी, पत्रावली पर मौजूद कागज सं० 3 अ/1 चिक एफ०आई०आर० मेरे

द्वारा तैयार की गयी है। मैं अपने लेख व हस्ताक्षर की शिनाख्त करता हूँ। इस चिक एफ०आई०आर० पर प्रदर्श क-4 अंकित किया गया। इसका खुलासा मैंने रोजनामचाआम में उसी दिन समय 09.15 पर किया था. असल जी०डी० नष्ट हो चुकी है। जिसका प्रमाण पत्र श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक फिरोजाबाद का दाखिल कर रहा हूँ। जी०डी० पर प्रदर्श क-5 व प्रमाण पत्र पर प्रदर्श क-6 अंकित किया गया। जी०डी० कागज सं० 6 ब/2 है।"

10. मैंने विद्वान विशेष लोक अभियोजक एवं बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता को सुना तथा पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों का परिशीलन किया।

11. प्रस्तुत मामले में विचारणीय प्रश्न यह है कि क्या अभियुक्तगण ने वादिनी श्रीमती मीना कुमारी के घर में सदोष अवरोध करने हेतु गृह अतिचार किया ? क्या अभियुक्तगण ने वादिनी के घर में गृह अतिचार कर उसकी लज्जा भंग करने के आशय से आपराधिक बल का प्रयोग किया एवं गाली-गलौज कर अपमानित किया ? क्या अभियुक्तगण ने यह जानते हुए कि वादिनी अनुसूजित जाति की महिला है को जाति सूचक शब्दों का प्रयोग कर चमरिया कहकर अपमानित किया ?

12. प्रस्तुत मामले में प्रथम सूचना रिपोर्ट दिनांक 20-07-2008 को प्रातः 09.15 मिनट पर का० कर्क मुन्ना सिंह द्वारा पंजीकृत की गयी है। तहरीर श्रीमती मीना कुमारी पीडिता पी०डब्लू० 1 द्वारा राम सिंह से लिखवाकर दी गयी। तहरीर पत्रावली पर प्रदर्श क-1 है। घटना दिनांक 19-07-2008 की समय रात्रि 11.00 बजे की है। घटना स्थल वादिनी मीना कुमारी का मकान है, जो नगला तुर्किया में स्थित है। घटनाक्रम के अनुसार वादिनी मीना कुमारी पत्नी राम सिंह, निवासी नगला तुर्किया, कस्बा व थाना मक्खनपुर जिला फिरोजाबाद जाटव जाति की है। दिनांक 19-07-2008 को अभियुक्त ए०के० पाण्डेय व रवीश कुमार एक चार पहिया गाड़ी सं० DL 4C-6670 लेकर उसके घर रात करीब 11.00 बजे पहुँचे। अभियुक्तगण द्वारा गेट खोलने के लिए कहा। प्रार्थिनी/पी०डब्लू० 1 मीना कुमारी ने दरवाजा खोल दिया और अभियुक्तगण से कहा कि उसके पति घर पर नहीं है, सुबह आने के लिए कहा। अभियुक्तगण प्रार्थिनी से अश्लील हरकतें करने लगे, जिसका

प्रार्थिनी ने विरोध किया। जाति सूचक शब्द 'चमरिया' कहते हुए अभियुक्तगण ने कहा साली तेरा पति तनख्वाह लेगा, जो मैं कहूँगा वही करना पड़ेगा, जबरदस्ती करने लगे। पीड़िता पी०डब्लू० 1 चिल्लाई तो पड़ोस में रहने वाले लोग आ गये, जिसमें धनीराम पुत्र रामस्वरूप, राजकुमारी आदि आ गये। इन लोगों ने अभियुक्तगण को घर से निकाल दिया। फिर भी अभियुक्तगण गंदी-गंदी गालियां देते रहे। वादिनी और लोगों ने अभियुक्त रवीश को पकड़कर थाने ले गये। अभियुक्त ए०के० पाण्डेय मौके से भाग गया। मौहल्ले के लोगों ने गाड़ी पकड़कर थाने पहुँचा दिया। इस सम्बन्ध में अभियोजन साक्षी कान्सटेबल क्लर्क मुन्ना सिंह पी०डब्लू० 8 को परीक्षित किया गया। पी०डब्लू० 8 ने अपने शपथपूर्वक बयान में कहा कि वह दिनांक 20-07-2008 को थाना मक्खनपुर पर बतौर का० क्लर्क तैनात थे। उस दिन वादिनी मुकदमा श्रीमती मीना कुमारी पत्नी राम सिंह, निवासी नगला तुर्किया, थाना मक्खनपुर जिला फिरोजाबाद की तहरीर के आधार पर मु०अ०सं० 123/2008, अन्तर्गत धारा 452,354,504 भा०दं०सं० व धारा 3(1)10 एस०सी०/एस०टी० एक्ट बनाम ए०के० पाण्डेय आदि दो व्यक्तियों के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत किया गया। चिक प्रथम सूचना रिपोर्ट पर अपने हस्ताक्षर की पहचान किया जिसपर प्रदर्श क-4 अंकित किया गया। उसकी प्रविष्टि उस दिन 09.15 मिनट पर रोजनामचाआम में की गयी। मूल जी०डी० नष्ट हो चुकी है। जी०डी० की प्रति पर प्रदर्श क-5 व जी०डी० विनिष्टिकरण प्रमाण पत्र पर प्रदर्श क-6 अंकित किया गया। प्रति-परीक्षा में कहा कि वादिनी थाने पर आयी थी। उसके साथ पति तथा अन्य लोग थे। पी०डब्लू० 1 मीना कुमारी ने अपने शपथपूर्वक बयान में कहा कि उसने लिखित तहरीर घटना के सम्बन्ध में थाने पर दिया था। तहरीर प्रदर्श 1 पर अपने हस्ताक्षर की शिनाख्त किया। इस प्रकार स्पष्ट है कि कथित घटना के अगले दिन प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीकृत कराई गयी है। विवेचक द्वारा घटना स्थल का नक्शा नजरी प्रदर्श क-3 वादिनी की निशानदेही पर तैयार किया गया, जिसमें अक्षर A से वह स्थान दर्शाया गया है जहाँ पर अभियुक्त ए०के० पाण्डेय घर के अंदर गये। अक्षर A2 से वह स्थान दर्शाया गया है जहाँ पर रवीश कुमार गये। अक्षर B से वह स्थान दर्शाया गया जहाँ पर जीप खड़ी की गयी। स्थान A से स्थान B की दूरी 20

कदम दर्शायी गयी है। घटना स्थल के आस-पास लोगों के आवासीय भवन हैं। घटना के सम्बन्ध में अभियोजन द्वारा पीडिता/वादिनी (Informant) को पी०डब्लू० 1 के रूप में परीक्षित किया गया। पी०डब्लू० 1 श्रीमती मीना कुमारी पत्नी राम सिंह ने अपने शपथपूर्वक बयान में कहा कि "घटना आज से लगभग दो महीने सात साल पहले की है। रात के 11.00 बजे की घटना है। हम अपने घर पर बेटे के साथ रहे थे। मेरे पति घर पर नहीं थे। ए०के० पाण्डेय तथा रवीश कुमार उनका ड्राइवर जीप से आये थे। दरवाजा खोलने के लिये कहा तो मैंने खोल दिया। तब मैंने उनसे कहा सुबह आना तब बात करना। उन्होंने कहा मेरे साथ हमबिस्तर हो जाओ तब तुम्हारे पति का वेतन दिला दंगे तथा अश्लील हरकत करने लगे। मैंने विरोध किया तो उन्होंने जाति सूचक शब्द चमरिया कहा और कहा कि हम तेरे पति को तनखा नहीं दंगे। चिल्लाने पर धनीराम, राजकुमारी आदि लोग आ गये। इन लोगों को घर से बाहर निकाला। उसके बाद भी गाली-गलौज करने लगे। प्रार्थिनी/पीडिता पी०डब्लू० 1 ने अग्रेतर कहा कि हम लोगों ने रवीश को पकड़ लिया तथा ए०के० पाण्डेय मौके से भाग गये। गाड़ी वही छूट गयी थी। मौहल्ले वाले गाड़ी को लेकर थाने आये तथा घटना के बारे में तहरीर दी। तहरीर मैंने राम सिंह से बोलकर लिखायी थी। पढकर सुना दी थी। उस पर मैंने अपने हस्ताक्षर बनाये थे। वादिनी ने अपने हस्ताक्षर व तहरीर की पहचान किया।" बचाव पक्ष की ओर से की गयी प्रति-परीक्षा में वादिनी मीना कुमारी ने कहा कि मैं पढी लिखी नहीं हूँ। दस्तखत करती हूँ। पति कोआपरेटिव बैंक में सचिव थे। मैं नहीं बता सकती मेरे पति सचिव पद पर कब से थे। जब से सस्पेन्ड हुए थे तब से बता सकती हूँ। मेरे पति को सस्पेन्ड हुए 10-11 साल हो चुके हैं। यह बात सही है कि जब मुकदमा लिखाया गया उससे पहले सस्पेन्ड हो चुके थे। इस समय मेरे पति बहाल है और बिल्टीगढ में कार्यरत हैं। मेरे घर पर कोई परेशानी आ गयी थी इसलिए आफिस नहीं जा पाये थे और सस्पेन्ड हो गये थे। मुझे यह याद नहीं है कि कब परेशानी हुई थी। ना तारीख व महीना याद नहीं है। मैं पढी लिखी नहीं हूँ। ----- जो घटना हुई थी उसको दो महीना कम सात साल हो गये हैं। तारीख 19-07-2007 था। इस घटना की रिपोर्ट अगले दिन सुबह 09.00 बजे हुई थी। तब तक रवीश व गाड़ी थाने में बंद रहे। गाड़ी और रवीश

जब थाने गये थे तब मैं भी साथ गई थी। थाने मेरे साथ धनीराम, राजकुमारी, पुष्पा, पुष्पा का पति थाने गये थे। रात में मेरी प्रथम सूचना रिपोर्ट नहीं लिखी गयी थी। सुबह लिखी गयी थी। मेरे पति के खिलाफ गबन का मुकदमा लिखा गया या नहीं पति जाने। मुझे नहीं मालूम मेरे पति गबन में पकड़े गये और जमानत हुई थी। मुझे यह भी नहीं मालूम कि मेरे पति के ऊपर 04 लाख 37 हजार 447 रुपये के गबन का आरोप लगा था। मेरे पति ने सहकारी समिति बिल्टीगढ में 15 लाख 18 हजार की भी हेराफेरी की थी, यह बात मुझे नहीं मालूम। मेरे पति क्यों सस्पेन्ड हुये। इस बारे में घर में जानकारी हुई थी। एकाउटेन्ट साहब ने मुझे यह बात बताई थी कि क्यों सस्पेन्ड हुये हैं। मुझे उन एकाउटेन्ट का नाम भई नहीं मालूम जिन्होंने मेरे पति के सस्पेन्ड होने वाली बात बताई थी। जब एकाउटेन्ट साहब मेरे घर आये ते तब मैं अपने घर पर मौजूद नहीं थी, गाँव में थी। अग्रेतर प्रति-परीक्षा में कहा कि ए०के० पाण्डेय फिरोजाबाद में सहकारी समिति के असिस्टेन्ट रजिस्ट्रार के पद पर तैनात थे। रवीश, ए०के० पाण्डेय का ड्राइवर था। मेरा घर बिल्टीगढ चौराहे पर ही है। बिल्टीगढ चौराहा पर बहुत सारा मार्केट व दुकाने हैं। घटना से पहले ए०के० पाण्डेय से नहीं मिली थी, परन्तु मेरे पति ने मुझे बताया था कि ए०के० पाण्डेय मेरे अधिकारी हैं और उन्होंने यह भी बताया था कि ए०के० पाण्डेय की वजह से मेरा वेतन नहीं निकल पा रहा है। ए०के० पाण्डेय के आदेश से ही वेतन निकलता था। वेतन रुका हुआ था। इतना पता था कि वेतन के लिए मामला चल रहा था। चैक भी बना रहे थे। मुझे नहीं पता कि कब से कब तक का वेतन रुका हुआ था। घटना के कुछ दिन पहले से सस्पेन्ड चल रहे थे। मैं यह नहीं बता सकती कि कितने दिन पहले से सस्पेन्ड चल रहे थे। मैं यह नहीं बता सकती कि मेरे पति कितनी तारीख को गबन के मुकदमें में जेल गये थे। कितने दिन मेरे पति जेल में रहे थे, मैं यह भी नहीं बता सकती। मेरा विवाद ए०के० पाण्डेय से मेरे पति के वेतन के पीछे हुआ था। मेरे पति राम सिंह के खिलाफ सहकारिता विभाग द्वारा थाना मक्खनपुर पर मु०अ०सं० 125/2000 धारा 409, 420, 467, 468, 471, 204, 120B भा०दं०सं० का मुकदमा थाना मक्खनपुर पर लिखा गया था। इसकी मुझे जानकारी नहीं है। जब ए०के० पाण्डेय घर आये थे तब छोटा बेटा 9 साल का था, बड़ा बेटा बाहर था। बड़ा बेटा करीब 20

साल का था। उस दिन मेरे घर में मेरे बेटे और मेरे अलावा कोई नहीं था। इस घटना से पहले रवीश सुनीता नाम की महिला के पास आता-जाता रहता था। उस घटना से पहले रवीश व ए०के० पाण्डेय कभी नहीं आये। रवीश व ए०के० पाण्डेय घर के अन्दर आ गये थे। ये दोनों मेरे यहाँ चारपाई पर बैठ गये थे। चारपाई घर के आंगन में पड़ी थी। मेरी इन लोगों से 2-4 मिनट बातचीत हुई। उन्होंने कहा कि ऐसा करो तो आपके पति का वेतन दिलवा देंगे। अग्रेतर प्रति-परीक्षा में कहा कि रवीश मेरे मौहल्ले में रहने वाली सुनीता के घर आता था। मेरी गली से निकलता था। मेरी रवीश से कभी मुलाकात नहीं हुई। अपने पति के साथ देखा था। जब पुलिस में लिखाया गया तब पता चला कि यह वही रवीश है। मैं यह नहीं बता सकती कि मैंने घटना से पहले कितने दिन पहले अपने पति के साथ रवीश को देखा था। मैं सुनीता को जानती हूँ। उसके पति का नाम नहीं जानती। सुनीता का मेरे मौहल्ले में मकान है।-----रवीश, सुनीता के यहाँ आता-जाता था। मैंने आते-जाते एक-दो बार देखा है। जब वह सुनीता के यहाँ आता था तब मुझे यह बात पता थी कि वह रवीश है। सुनीता के यहाँ और कौन लोग आते-जाते थे मुझे नहीं मालूम। रवीश, सुनीता का रिश्तेदार था, मैं नहीं बता सकता। मेरे घर का दरवाजा पूरब दिशा में है। मुझे पता है कि रवीश, ए०के० पाण्डेय का ड्राइवर है। मेरे घर में दो कमरे बने हैं।----- रवीश और ए०के० पाण्डेय मेरे घर गये थे। जब रवीश व ए०के० पाण्डेय आये थे तब मैं आगे-आगे गयी थी वह मेरे पीछे-पीछे आये थे। वह बैठे नहीं खड़े रहे थे। खड़े-खड़े झगड़ा करने लगे थे। जब झगड़ा हुआ था तब वह पूरब दिशा में खड़े थे। मैं पश्चिम दिशा में खड़ी थी। जब झगड़ा हुआ था तब पूरा मौहल्ला वहाँ मौजूद था। रवीश व ए०के० पाण्डेय ने मुझे पकड़ा नहीं था। सी०ओ० साहब घटना के दूसरे दिन जाँच करने मेरे घर आये थे। घटना स्थल के बारे में मैंने सी०ओ० साहब को बताया था। पीड़िता/वादिनी को इस बात का सुझाव दिया कि अभियुक्तगण को इसलिए फंसाया गया कि पीड़िता के पति के वेतन की बहाली को लेकर पीड़िता का अभियुक्तगण से विवाद था। जिस कारण उसने अपने पति की बहाली व वेतन के लिये ए०के० पाण्डेय पर दबाव के लिये ए०के० पाण्डेय पर झूठा मुकदमा लिखा दिया

हो। वेतन सम्बन्धी विवाद के बाबत भी सुझाव दिया गया। पीड़िता ने सभी सुझाव से इंकार किया।

अभियोजन साक्षी पी०डब्लू० 2 के रूप में पुष्पा देवी को परीक्षित किया गया। जिसने अपने शपथपूर्वक बयान में कहा कि "घटना आज से लगभग सात साल पहले रात के 11.00 बजे की है। मैं अपने घर पर छत पर सो रही थी। तभी शोर-गुल की आवाज सुनायी दी। जिससे मेरी नींद खुल गयी। फिर मैं बाहर निकल कर आयी तब मीरा देवी के घर पर काफी भीड़ खड़ी थी। मीरा देवी चिल्ला चिल्लाकर कह रही थी कि उसके घर ए०के० पाण्डेय व उसका ड्राइवर घर में घुस आये तथा इज्जत लूटने की कोशिश की तथा छेड़खानी की। मीना व राजकुमारी व अन्य लोगों ने ड्राइवर रवीश को पकड़ लिया था तथा ए०के० पाण्डेय मौके से भाग गया था तथा उनकी गाड़ी नाली में फंस गयी थी। इन लोगों ने मीना देवी के साथ गाली-गलौज व चमरिया कहा था। हम लोग न आते तो ये लोग मीना देवी की इज्जत लूट लेते, छेड़खानी तो की ही है। प्रति-परीक्षा में कहा कि मैं पढी लिखी नहीं हूँ। तारीख याद नहीं है। घटना को सात साल हो गये हैं। मेरा घर मीना देवी के घर से एक घर छोड़कर है। मुझे नहीं मालूम कि मेरा घर मीना देवी के घर से किस दिशा में है। मीना देवी और मेरे घर के बीच में उदयवीर का घर है। उदयवीर भी वहीं रहते हैं। घटना के समय उदयवीर का खाली प्लाट था। मैं यह नहीं बता सकती कि मीना देवी के घर का दरवाजा किस दिशा में है। मैं घर पर ही रहती हूँ। अग्रेतर प्रति-परीक्षा में कहा कि मैं घटना के समय अपनी छत पर सो रही थी। रात के 11.00 बजे की बात है। उसके बाद मैं घटना स्थल पर पहुंची। वहाँ पर काफी भीड़-भाड़ थी। मैं घटना स्थल पर गयी थी तब वहाँ ए०के० पाण्डेय मौजूद थे। रवीश भी मौजूद था। भीड़भाड़ में कितने लोग थे। मैं नहीं बता सकती। मैंने गिने नहीं थे। जब मैं वहाँ पहुंची थी तब ए०के० पाण्डेय मकान के अन्दर थे। रवीश बाहर दरवाजे पर था। भीड़ घर के बाहर खड़ी थी। मेरे वहाँ पहुंचने के तुरन्त बाद वह लोग भाग गये। कितने समय बाद भाग गये मैं नहीं बता सकती। मैंने ए०के० पाण्डेय के हाथ में कोई हथियार नहीं देखा। जब ए०के० पाण्डेय घर से बाहर निकले तब मैं व भीड़ बाहर ही खड़ी थी। वह भागे नहीं थे। मैंने दरोगा जी को ए०के० पाण्डेय के घर के अन्दर वाली बात बताई थी। यह बात मैंने दरोगा जी को बताई थी। यदि दरोगा जी ने मेरे बयान

में नहीं लिखा है तो मैं इसकी कोई वजह नहीं बता सकती।-----जब ए०के० पाण्डेय घर से निकल कर गये तब मैंने उन्हें नहीं पकड़ा। जब तक हम वहां पहुंचे तब तक ए०के० पाण्डेय भाग गये थे। ड्राइवर स्टार्ट गाड़ी करके भाग रहा था। गाड़ी फंस गयी थी। इसलिए ड्राइवर को पकड़ लिया। गाड़ी ड्राइवर की मीना के घर के सामने फंस गयी थी। गली का खरंजा 7-8 फुट है। मैं करीब मौके पर आधा घण्टा तक रही थी। इन लोगों के साथ मैं भी थाने गयी। मगर मैं थाने के बाहर खड़ी रही थी। मैं नहीं बता सकती कि मैं थाने कितने बजे पहुंची थी। मैं यह भी नहीं बता सकती कि थाने से घर वापस कब आयी। मैं नहीं बता सकती कि थाने कौन-कौन लोग गये। 4-5 लोग रवीश को पकड़कर ले गये थे। मैं उनके नाम नहीं जानती। मैंने मीना देवी के चिल्लाने की आवाज सुनी थी। वह बचाओ-बचाओ कर रही थी। साक्षी पी०डब्लू० 2 ने इस सुझाव से इंकार वह मीना देवी के घर के पास नहीं रहती हैं और उसने कोई घटना न देखी हो।

अभियोजन साक्षी पी०डब्लू० 3 के रूप में धनीराम पुत्र रामस्वरूप को परीक्षित किया गया है, जिन्होंने अपने शपथपूर्वक बयान में कहा कि "आज से लगभग सात साल दो महीने पहले रात के 11.00 बजे मेरे सामने मीना कुमारी के साथ घर में घुसकर हाजिर अदालत मुल्जिमान रवीश कुमार व एक अन्य व्यक्ति ने जिनका नाम ए०के० पाण्डेय बताया गया था ने कोई छेड़खानी नहीं की थी, ना ही मेरे सामने गाली गलौज व जाति सूचक शब्द कहे थे। जिस सम की घटना बतायी जा रही है। उस समय मैं अपने परिवार के साथ घर पर सो रहा था। मैंने तथा मेरी पत्नी राजकुमारी ने शोर मचाने पर बाहर आकर मीना कुमारी के घर आकर हाजिर अदालत मुल्जिमान रवीश को नहीं पकड़ा था। मैं थाने भी नहीं गया था।" अभियोजन कथानक का समर्थन न करने के कारण अभियोजन के निवेदन पर साक्षी पी०डब्लू० 3 धनीराम को पक्षद्रोही घोषित किया गया तथा अभियोजन को प्रति-परीक्षा करने की अनुमति दी गयी। साक्षी को उसका धारा 161 द०प्र०सं० का बयान पढ़कर सुनाया गया तो साक्षी ने उससे इंकार किया और उसने ऐसे किसी बयान नहीं देने का कथन किया। बयान कैसे लिख इसकी कोई वजह नहीं बता सकता। साक्षी ने इस बात को सही बताया कि मेरा घर मीना कुमारी के घर से 20 कदम की दूरी पर है। साक्षी ने इस सुझाव

को गलत बताया कि हाजिर अदालत मुल्जिमान रवीश कुमार को माना कुमारी ने पकड़ा था और इस सुझाव से भी इंकार किया कि अभियुक्तगण से मिल गया है। अन्य सुझावों से भी साक्षी ने इंकार किया है।

इसी प्रकार अभियोजन साक्षी पी०डब्लू० 4 राजकुमारी ने कहा कि आज से लगभग 7 साल पहले रात के 11.00 बजे मुल्जिमान रवीश कुमार व एक अन्य व्यक्ति जिसका नाम ए०के० पाण्डेय बताया जाता है। इन लोगों ने मेरे सामने मीना कुमारी के साथ कोई छेड़खानी नहीं की थी, ना ही जाति सूचक शब्द कहे थे। ना ही मैंने हाजिर अदालत मुल्जिमान रवीश को अन्य लोगों के साथ मिलकर नहीं पकड़ा था। ना ही मैं मीना कुमारी के साथ थाने गयी थी। घटना के समय मैं अपने घर पर मौजूद थी। अभियोजन के निवेदन पर इस साक्षी को पक्षद्रोही घोषित किया गया तथा प्रति-परीक्षा की अनुमति दी गयी। प्रति-परीक्षा में साक्षी ने धारा 161 द०प्र०सं० के बयान से इंकार किया और कहा कि मैंने ऐसा कोई बयान नहीं दिया था। कैसे लिख दिया इसकी कोई वजह नहीं बता सकती। पीड़िता के साथ गाली-गलौज, जाति सूचक शब्द कहने से इंकार किया है।

अभियोजन साक्षी पी०डब्लू० 5 के रूप में इलियास को परीक्षित किया गया है। पी०डब्लू० 5 ने अपने शपथपूर्वक बयान में कहा कि आज से 7 साल पहले मैं अपने घर पर बच्चों के साथ सो रहा था। शोरगुल की आवाज सुनाई दी तो मीना के घर के सामने काफी भीड़ लगी थी। मीना को मैंने यह कहते नहीं सुना था कि हाजिर अदालत मुल्जिमान रवीश व ए०के० पाण्डेय ने मेरे घर में घुसकर मेरे साथ गाली गलौज, जाति सूचक शब्द व अश्लील हरकत नहीं की थी। मैंने हाजिर अदालत मुल्जिमानों को मौके पर नहीं देखा था। इस साक्षी को भी अभियोजन के निवेदन पर पक्षद्रोही घोषित किया गया था प्रति-परीक्षा की गयी। साक्षी ने धारा 161 द०प्र०सं० के बयान से साफतौर पर इंकार किया है। अभियोजन साक्षी पी०डब्लू० 6 पूणेन्दु सिंह अंतिम विवेचक हैं। जिनके साक्ष्य में आया है कि वह दिनांक 01-02-10 को सी०ओ० सदर के पद पर तैनात थे। मु०अ०सं० 123/2008 धारा 452,354,504 भा०द०सं० व धारा 3(1)10 एस०सी०/एस०टी० एक्ट की विवेचना मुझे प्राप्त हुई। इससे पूर्व की प्रारम्भिक विवेचना

सी०ओ० श्री राजेश कुमार चौरसिया, सी०ओ० सुन्दरलाल, सी०ओ० श्री राम मोहन सिंह व सी०ओ० सरजीत सिंह द्वारा की गयी थी। पूर्व पर्चों का अवलोकन किया गया। उनके द्वारा विवेचना उपरान्त **आरोप पत्र प्रदर्शक -2** प्रेषित किया गया। प्रति-परीक्षा में कहा कि पूर्व विवेचकों का कोई बयान नहीं लिया गया। ना ही उनके द्वारा किसी अन्य साक्षी का बयान लिया गया। पूर्व विवेचकों के बयान के आधार पर आरोप पत्र प्रेषित किया गया। **पी०डब्लू० 7 के रूप में राजेश कुमार** पूर्व विवेचक को परीक्षित किया गया। जिनके साक्ष्य में आया है कि दिनांक 20-07-2008 को मैं सी०ओ० सदर फिरोजाबाद के पद पर तैनात था। उस दिन अ०सं० 123/2008 धारा 452,354,504 भा०द०सं० व धारा 3(1)10 एस०सी०/एस०टी० एक्ट बनाम ए०के० पाण्डेय आदि की विवेचना मुझे प्राप्त हुई थी। साक्षियों के बयान लिये गये। **मुल्जिम रवीश कुमार को पब्लिक ने पकड़ लिया था, का केस डायरी में अंकन किया गया। बयान केस डायरी में अंकित किये गये। पर्चे में जी०डी० को नकल रपट नं० 12 दिनांक 30-07-2008 को नकल की गयी। जिसमें रवीश कुमार से बरामद एक गाड़ी सहकारी महिन्द्रा नं० DL 4C 6670 थाने में दाखिल की गयी। उसकी नकल केस डायरी में की गयी। अन्य साक्षियों के बयान उनके द्वारा अंकित किये गये।**

उपरिवर्णित साक्ष्यों के विश्लेषण से स्पष्ट है कि घटना कथित रूप दिनांक 19-07-2018 की समय रात्रि 11.00 बजे की है। उस समय पीड़िता/वादी (Informant) पी०डब्लू० 1 श्रीमती मीना कुमारी अकेली थी। उस समय उसका पुत्र भी था। बड़ा पुत्र और पति घर पर नहीं थे। प्रथम सूचना रिपोर्ट दिनांक 20-07-2008 को प्रातः 09.15 पर पंजीकृत की गयी। थाना घटना स्थल से आधा किलोमीटर दूर है। वादिनी ने अपने सम्पूर्ण बयान में यह नहीं बताया है कि कथित घटना के समय उसके पति राम सिंह कहाँ थे और पुत्र कहां था। थाने पर तत्काल सूचना दी जा सकती थी, किन्तु तत्काल सूचना न देकर प्रातः सूचना दिये जाने का उपक्रम किया गया। तहरीर कथित रूप से राम सिंह द्वारा लिखी गयी है। तहरीर पर दिनांक 20-07-2008 अंकित किया गया है। तत्काल प्रथम सूचना रिपोर्ट न दर्ज किया जाना अभियोजन कथानक को संदिग्ध बनाता है। तहरीर लेखक को

अभियोजन द्वारा परीक्षित भी नहीं किया गया है। घटनाक्रम के अनुसार अभियुक्तगण चार पहिया वाहन रजिस्ट्रेशन नं० DL 4C लेकर वादिनी के घर पहुँचे। दरवाजा खोलने के लिए कहा। पी०डब्लू० 1 मीना कुमारी ने दरवाजा खोल दिया। पीड़िता ने बताया कि पति घर पर नहीं हैं। फिर भी कथित रूप से अभियुक्तगण घर में घुस गये। पीड़िता ने कथित रूप से सुबह आने के लिए कहा, किन्तु अभियुक्तगण ने पीड़िता से हमबिस्तर होने के लिए कहने लगे तथा अश्लील हरकते करने लगे। चमरिया कहकर सम्बोधित किया। न्यायालय के समक्ष दिये गये बयान में पीड़िता ने हमबिस्तर होने के बात नहीं कही है। अभियुक्तगण ने कथित रूप से यह भी कहा कि उसके पति की तनख्वाह नहीं मिलेगी। पीड़िता के चिल्लाने पर धनीराम, राजकुमारी और अन्य लोग आ गये। धनीराम और राजकुमारी को अभियोजन द्वारा क्रमशः पी०डब्लू० 3 व पी०डब्लू० 4 के रूप में परीक्षित किया गया है। दोनों ही कथित चक्षुदर्शी साक्षियों ने पीड़िता के कथानक का समर्थन नहीं किया और कहा कि अभियुक्तगण ने उनके सामने कोई छेड़छाड़ नहीं की थी। ना ही गाली-गलौज किया और ना ही जाति सूचक शब्द कहे। जिस समय की घटना बतायी जा रही है उस समय वह अपने परिवार के साथ घर पर सो रहा था। शोर सुनकर धनरीम पी०डब्लू० 3 और उसकी पत्नी राजकुमारी ने अभियुक्त रवीश कुमार को नहीं पकड़ा था। अग्रेतर कहा कि वह थाने पर भी नहीं गया। जबकि पीड़िता ने कहा कि धनीराम भी थाने पर गया था। पी०डब्लू० 4 राजकुमारी ने अभियोजन कथानक का लेशमात्र भी समर्थन नहीं किया। साक्ष्यों में भी कहा कि घटना के समय वह अपने घर पर मौजूद थी। हाजिर अदालत मुल्जिम रवीश कुमार को भी नहीं पकड़ा गया था और ना ही वह वादिनी के साथ थाने पर गया था। पी०डब्लू० 3 व पी०डब्लू० 4 ने विवेचक द्वारा अंकित किये गये बयान धारा 161 द०प्र०सं० से भी इंकार कर दिया तथा दोनों साक्षियों को पक्षद्रोही घोषित किया गया। अभियोजन और न्यायालय द्वारा की गयी प्रति-परीक्षा में भी ऐसा कोई तथ्य उदघटित नहीं हुआ जिससे अभियोजन कथानक को कोई बल मिल सके। कथित रूप से अभियुक्तगण द्वारा यह भी कहा गया कि पीड़िता के पति की तनख्वाह नहीं बनेगी। रवीश कुमार को पकड़ लिये जाने का कथन किया गया और कहा गया कि ए०के० पाण्डेय भाग गया था। गाड़ी मौके पर ही छूट गयी

थी, जिसे लेकर मौहल्ले वाले थाने गये थे। यदि वास्तव में कोई वाहन मौके पर पकड़ा गया था और उसे थाने पर ले जाया गया था उस स्थिति में वाहन को अधिग्रहीत किया जाना आवश्यक था, जिसके बाबत कोई भी रोजनामचाआम की प्रविष्टि को साबित नहीं किया गया है। घटना के समय प्रकाश था अथवा नहीं था इस बाबत भी कोई सुसंगत एवं विश्वसनीय साक्ष्य पत्रावली पर उपलब्ध नहीं कराया गया है। अभियोजन साक्षी पी०डब्लू० 5 इलियास ने घटना के समय अपने घर पर होने का कथन किया है, साथ ही साथ कहा कि शोर गुल की आवाज सुनी थी। मीना के घर पर काफी भीड़ लग गयी थी। साक्षी पी०डब्लू० 5 ने भी अभियुक्तगण द्वारा गाली-गलौज देने और जाति सूचक शब्द कहने और अश्लील हरकत करने के तथ्य से इंकार किया है। एकमात्र साक्षी पुष्पा देवी पी०डब्लू० 2 ने पीड़िता के साक्ष्यों का समर्थन किया है, किन्तु उसने अपने साक्ष्यों में कहा कि जिस समय कि घटना है वह अपने घर पर शो रही थी। शोरगुल की आवाज सुनकर उसकी नींद खुल गयी तो देखा कि मीना के घर पर भीड़ लगी थी। मीना देवी चिल्ला-चिल्ला कर यह कह रही थी कि ए०के० पाण्डेय और रवीश कुमार उसके घर में घुसकर छेड़छाड़ की कोशिश की। मीना देवी और अन्य लोगों ने रवीश कुमार को पकड़ लिया और ए०के० पाण्डेय भागने में सफल रहा। गाड़ी नाले में फंस गयी थी। पुष्पा देवी के परिवार के अन्य सदस्यों को इस बाबत परीक्षित नहीं किया गया कि रात्रि के समय अकेले घर से निकल कर कहां गयी और क्यों गयी। पी०डब्लू० 5 पुष्पा देवी प्रथम दृष्टया प्रयोजित साक्षी प्रतीत होती है। उसके द्वारा कदापि घटना देखा जाना प्रमाणित नहीं होता है, क्योंकि जिस समय घटना कथित रूप से हो रही थी उस समय वह घर पर थी। स्वाभाविक है कि वह नींद में थी और जब तक वह पहुंची घटनाक्रम समाप्त हो चुका था। पुष्पा देवी पी०डब्लू० 5 के साक्ष्य में यह भी आया है कि जब वह वहां पहुंची तो ए०के० पाण्डेय घर के अन्दर था और रवीश कुमार बाहर खड़ा था। जब ए०के० पाण्डेय घर से बाहर निकला भीड़ खड़ी थी। प्रश्न यहाँ पर यह है कि भीड़ द्वारा कथित रूप से रवीश कुमार को पकड़ लिया गया तो ए०के० पाण्डेय को किन परिस्थितियों में नहीं पकड़ा जा सका। बचाव पक्ष की ओर से प्रबलता से यह तर्क रखा गया है कि वादिनी मीना देवी द्वारा झूठा मुकदमा इस कारण दर्ज कराया गया है कि

उसके पति राम सिंह को सहकारिता विभाग द्वारा निलम्बित कर दिया गया और वेतन रोक दिया गया। अग्रेतर यह भी तर्क दिया गया है कि वादिनी के पति के ऊपर सरकारी धन के गबन का आरोप था, और वह जेल भेजा गया था। नक्शा नजरी के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि जहां पर घटना स्थल दर्शाया गया है वहाँ के आस-पास आवासीय भवन बने हैं। रात्रि का समय था। पी०डब्लू० 1 वादिनी मीना देवी ने अपने साक्ष्य में स्वीकार किया है कि उसके पति निलम्बित हुए थे और बाद में बहाल हुए थे। घर पर कुछ परेशानी होने के कारण वह आफिस नहीं जा सके थे इस कारण वह निलम्बित हुए थे। स्वीकारक रूप से वादिनी का पति सहकारिता विभाग में नौकरी कर रहा था और उसे सरकारी धन के गबन में निलम्बित कर दिया गया था तथा इस आरोप में उसेक विरुद्ध अपराध संख्या 125/2000 अन्तर्गत धारा 409, 420, 467, 468, 471, 204, 120B भा०द०सं० का मुकदमा थाना मक्खनपुर में लिखा गया था। वादिनी ने अपने बयानों में स्पष्ट रूप से स्वीकार किया है कि मेरा विवाद ए०के० पाण्डेय से पति के वेतन के पीछे हुए था। अग्रेतर उसने प्रति-परीक्षा में स्वीकार किया कि मेरे पति के खिलाफ गबन का मुकदमा लिखा गया था, यह पति जाने मुझे नहीं मालूम मेरे पति गबन में पकड़े गये और जमानत हुई थी। मुझे यह भी नहीं मालूम कि मेरे पति के ऊपर 04 लाख 37 हजार 447 रुपये के गबन का आरोप लगा था। मेरे पति क्यों सस्पेन्ड हुए थे इस बारे में घर में जानकारी हुई थी। वादिनी को यह स्वीकार है कि अभियुक्त ए०के० पाण्डेय फिरोजाबाद में सहकारी समिति में थे और रवीश कुमार उनका ड्राइवर था। घटना के पहले से वह ए०के० पाण्डेय से नहीं मिली थी। उसके पति ने उसे बताया था कि ए०के० पाण्डेय उसके अधिकारी हैं और पति ने यह भी बताया था कि ए०के० पाण्डेय की वजह से मेरा वेतन नहीं निकल पा रहा है। ए०के० पाण्डेय के आदेश से वेदन निकलता था। पति का वेतन रुका हुआ था। वादिनी के बयानों से यह स्पष्ट है कि कथित घटना के पूर्व वह कभी भी अभियुक्त ए०के० पाण्डेय से नहीं मिली थी और ना ही उन्हें जानती पहचानती थी। अभियुक्त ए०के० पाण्डेय को वह नहीं जानती पहचानती थी तब किन परिस्थितियों में उसके द्वारा तहरीर देकर नामजद रिपोर्ट पंजीकृत करायी। अभियुक्तगण की कोई शिनाख्त परेड भी नहीं करायी गयी।

रवीश कुमार को भी वादिनी नहीं पहचानती थी। प्रथम बार उसने न्यायालय के समक्ष अंकित बयानों में कहा कि इस घटना से पहले रवीश कुमार, सुनीता नाम की महिला के पास आता-जाता था। उस घटना से पहले रवीश व ए०के० पाण्डेय कभी नहीं आये। प्रश्न यह है कि यदि अभियुक्तगण को वादिनी मीना देवी नहीं जानती-पहचानती थी तब उनके विरुद्ध नामजद अभियोग कैसे पंजीकृत कराया गया। वेतन रुका हुआ था इस बात को वादिनी ने स्वीकार किया है। सुनीता नाम की महिला को अभियोजन द्वारा इस आशय से परीक्षित नहीं किया गया कि क्या अभियुक्त रवीश कुमार उसके घर कभी आया गया। पीड़िता, सुनीता के पति के नाम से अवगत नहीं है। दोनों ही अभियुक्तगण पीड़िता को कदापि पहचानते नहीं थे। वादिनी के साक्ष्य के अनुसार जब झगड़ा हुआ था तो भीड़ मौके पर मौजूद थी, किन्तु मौके के किसी अन्य साक्षी ने न्यायालय में आकर घटना का समर्थन नहीं किया और ना ही कोई साक्ष्य दिया। यदि अभियुक्तगण को घटना के दिन व समय पर पकड़ लिया गया था तो उनके विरुद्ध तत्काल मुकदमा क्यों नहीं पंजीकृत किया गया। पीड़िता के अतिरिक्त कथित साक्षी पुष्पा देवी एकमात्र साक्षी है जिसने आंशिक रूप से अभियोजन कथानक का समर्थन किया, किन्तु उसका साक्ष्य पूर्णतः विश्वसनीय प्रतीत नहीं होता है। क्योंकि जब पीड़िता घटा के पहले से अभियुक्तगण को जानती पहचानती नहीं थी तब वादिनी द्वारा चिल्ला-चिल्ला कर अभियुक्तगण का नाम लेकर घटना कारित करना कदापि स्वाभाविक एवं विश्वसनीय प्रतीत नहीं होता है। साक्ष्यों से यह भी स्पष्ट है कि वादिनी मीना देवी के पति के विरुद्ध सरकारी धन के गबन का आरोप था और उनके विरुद्ध मुकदमा भी पंजीकृत था, जिसमें वह जेल भेजा गया था। पीड़िता के पति का वेतन रुका हुआ था और अभियुक्त ए०के० पाण्डेय के हस्ताक्षर से वेतन आहरित हो सकता था। वादिनी पी०डब्लू० 1 मीना देवी ने अपने बयानों में यह कहा कि अभियुक्तगण ने कथित रूप से हमबिस्तर होने के लिए कहा और यह कहा कि तभी उसके पति का वेतन दिलायेंगे। स्पष्ट है कि कहीं न कहीं वादिनी सहकारिता विभाग द्वारा उसके पति के विरुद्ध की गयी विधिक कार्यावाही से पीड़ित थी। वेतन रुका हुआ था। इस प्रकार बचाव पक्ष के तर्क में बल प्रतीत होता है कि चूंकि वादिनी के पति का वेतन रुका हुआ था और वह आपराधिक मुकदमा का भी

सामना कर रहा था, इस कारण दुर्भावना से प्रेरित होकर अभियुक्तगण को झूठे मुकदमे में आरोपित किया गया और उनके विरुद्ध अभियोजन चलाया गया। वादिनी का कृत्य भी अस्वाभाविक प्रतीत होता है क्योंकि यदि अभियुक्तगण कथित रूप से उसके घर गये थे और पति घर पर नहीं था और वादिनी अभियुक्तगण को जानती-पहचानती नहीं थी तब किन कारणों से कथित रूप से दरवाजा खोल दिया और अभियुक्तगण को घर में प्रवेश करने की अनुमति दी गयी। प्रथम सूचना रिपोर्ट भी तत्काल पंजीकृत नहीं करायी गयी। सम्पूर्ण बयानों में पीड़िता ने यह भी नहीं बताया है कि कथित घटना के समय उसके पति कहां थे और वह घर वापस कब आये और क्या पीड़िता ने सम्पूर्ण घटनाक्रम से अपने पति को अवगत करया अथवा नहीं ? घर पर उपस्थित पुत्र को भी साक्षी के रूप में न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया। प्रातः अभियोग पंजीकृत कराया जाना निसंदेह यह इंगित करता है कि सम्पूर्ण घटनाक्रम सुविचारित ढंग से प्रार्थना पत्र तैयार करके प्रस्तुत किया गया। वादिनी के अतिरिक्त अन्य कोई अभियोजन साक्षी नहीं परीक्षित किया गया जो स्वतंत्र हो और घटना का समर्थन किया हो। जिन कथित स्वतंत्र साक्षियों को परीक्षित किया गया है वह पक्षद्रोही हो गये हैं और घटनाक्रम का कदापि समर्थन नहीं दिया। अभियुक्तगण को झूठा फंसाये जाने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है। अभियुक्तगण सरकारी कर्मचारी थे और उनके द्वारा न तो पीड़िता के घर जाया गया और ना ही कोई गृह अतिचार किया गया और ना ही कोई अश्लील हरकत की गयी है। कथित रूप से गाली-गलौज की बात घर के अन्दर हुई है इसलिए यह नहीं कहा जा सकता कि जाति सूचक गालियां अथवा अपमानित करने के उद्देश्य से कोई कृत्य किया गया। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के प्रावधान आकृष्ट नहीं होते हैं। अभियोजन कथानक में संदेह के बादल विद्यमान हैं। अभियोजन द्वारा आकाट्य एवं विश्वसनीय साक्ष्य नहीं प्रस्तुत किये जा सके हैं। अभियुक्तगण संदेह का लाभ पाने के अधिकारी हैं तथा दोषमुक्त किये जाने योग्य हैं।

आदेश

विशेष सत्र परीक्षण सं० 152/2012, राज्य बनाम ए०के० पाण्डेय आदि में अभियुक्तगण ए०के० पाण्डेय एवं रवीश कुमार को

विशेष सत्र परीक्षण संख्या- 152/2012
 UPFD010020242012
 राज्य बनाम ए०के० पाण्डेय आदि
 मु०अ०सं०- 123/2008
 धारा-452,354,504 भा०द०सं०,
 व धारा 3(1) (X), एस०सी०/एस०टी० एक्ट,
 थाना- मक्खनपुर, जिला-फिरोजाबाद

लगाए गए आरोप अंतर्गत धारा 452,354,504 भा०द०सं० व धारा 3(1) (X), एस०सी०/ एस०टी० एक्ट से उपरोक्त कारणों के आलोक में दोषमुक्त किया जाता है।

अभियुक्तगण जमानत पर हैं। अभियुक्तगण की जमानतें और बन्ध पत्र निरस्त किये जाते हैं तथा जामिनदारों को उनके दायित्व से उन्मोचित किया जाता है।

अभियुक्तगण धारा 437A द०प्र०सं० के अनुपालन में न्यायालय द्वारा पूर्व में पारित आदेश का अनुपालन सुनिश्चित करें। पत्रावली नियमानुसार दाखिल अभिलेखागार हो।

(इफराक अहमद)

दिनांक: 04.01.2024 विशेष न्यायाधीश एस०सी०/एस०टी० एक्ट
 फिरोजाबाद।

ID NO UP6193

आज यह निर्णय व आदेश मेरे द्वारा खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित एवं दिनांकित करके उदघोषित किया गया।

(इफराक अहमद)

दिनांक: 04.01.2024 विशेष न्यायाधीश एस०सी०/एस०टी० एक्ट
 फिरोजाबाद।

ID NO UP6193